राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–र.रिपोर्ट 7(8)/विविध/अभि./15/753-97 दिनांकः– 17/1/17
प्रेषितः–

समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन,
राजस्थान ।

विषय – दिनांक 11.02.2017 को पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर का पत्र कमांक एफ. 4(139)रालसा/डीएसएडीआर/एनएलए/2017/22430 दिनांक 09.01.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक **11.02.2017** को लघु प्रकृति के ट्रेफिक चालान, आबकारी अधिनियम एवं वन अधिनियम से सम्बन्धित कम्पाउण्ड योग्य मामलों के निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अतः सन्दर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुये अपने कार्यालय के साथ, आपके अधीन समस्त अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी एवं उनके कर्मचारीगण को निर्देशित करें कि उक्त दिवस में नियमित कार्यदिवस की भांति कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य संपादित करे एवं राष्ट्रीय लोक अदालत में अपेक्षित सहयोग करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

17.1.17
(अशोक कुमार बम्नावत)
अतिरिक्त निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर को सन्दर्भित पत्र की पालना में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अनुभागाधिकारी, गृह (ग्रुप–10) विभाग को, सन्दर्भित पत्र में वर्णित मुकदमे वापस लेने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही हेतु सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

17.1.17
अतिरिक्त निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर

Most Urgent

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)
(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: dsapadr@gmail.com, rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

16 JAN 2017 क्रमांक 337

क्रमांकF4(139) / रालसा / डीएसएडीआर / एनएलए / 2017 / 22430 दिनांक: 09.01.2017

प्रेषितिः—

विशिष्ट शासन सचिव, (गृह) एवं निदेशक,
अभियोजन, राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः दिनांक 11.02.2017को पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने के संबध में।
संदर्भः— राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली का पत्र कमांक ए.न. एल / 39 / 2015 नाल्सा दिनांक 06.01.2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रासंगिक पत्र द्वारा दिनांक 11.02.2017 को प्रदेश के सभी न्यायालयों में लम्बित व प्री लिटिगेशन मामलों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिये है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत किसी विषय विशेष के प्रकरणों के लिए सीमित न होकर सभी प्रकार के प्रकरणों के लिए आयोजित की जानी है तथा इस संबंध मे सभी न्यायालयों को समुचित निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राज्य की सभी न्यायालयों में काफी मात्रा में लघु प्रकृति के ट्रेफिक चालान, आबकारी अधिनियम एवं वन अधिनियम से संबंधित कम्पाउण्ड योग्य मामले लंबित है। अतः उनके शीघ्र निस्तारण हेतु माननीय मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिया गया है कि इस प्रकृति के सभी प्रकरणों को कम्पाउण्ड करवाने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों / संबंधित अधिकारी / सहायक लोक अभियोजकों को अधिकृत एवं निर्देशित कराने की कार्यवाही करें।

इसी प्रकार नगरपालिका अधिनियम, शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, आबकारी अधिनियम, वन अधिनियम एवं लघु प्रकृति के अन्य मामले समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा वापस लिये जाते हैं तथा अभियुक्त की अनुपस्थिति में तलबी में चल रहे दो साल से अधिक पुराने ट्रेफिक चालानों को भी वापस लेने के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया हुआ है। अतः इस संबंध में भी आपसे अनुरोध है कि ऐसे सभी मामलों के संबंध में प्रभावी कार्यवाही कर इन्हें वापस लेने के लिए संबंधित अधिकारी को समुचित निर्देश जारी करें।

साथ ही निर्देशानुसार अनुरोध है कि इस पत्र के संबंध में आपके द्वारा की गई कार्यवाहियों के प्रतिवेदन और आदेशों की प्रतियां सात दिन में इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें संकलित रूप से माननीय महोदय के अवलोकनार्थ एवं अग्रिम निर्देशार्थ रखा जा सके।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करावें, ताकि न्यायालयों को दूसरे जटिल प्रकृति के मामलों के निस्तारण के लिए समय मिल सके।

सादर,

भवदीय

(एस. के. जैन)
सदस्य सचिव

क्रमांकF4(139) / रालसा / डीएसएडीआर / एनएलए / 2017 / दिनांक: 09.01.2017

प्रतिलिपि श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को भेजकर अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त प्रकृति के प्रकरणों के अधिकतम निस्तारण हेतु हर संभव प्रयास करें।

सदस्य सचिव